123

बिहार सरकार,
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

अधिसूचना

जी0एस0आर0———————— पटना, दिनांक–

सरकार की राय में राज्य के किसानों को अपनी उपज का भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ दिलाने तथा धान एवं चावल की उपलब्धता एवं आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्य में अधिप्राप्ति केन्द्रों का संचालन आवश्यक एवं समीचीन है।

2. खरीफ विपणन मौसम 2018–19 अन्तर्गत धान एवं चावल की अधिप्राप्ति करने हेतु बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को नोडल एजेन्सी के रूप में नामित किया जाता है।

(i) राज्य अंतर्गत धान की अधिप्राप्ति करने हेतु राज्य अभिकरण के रूप में सहकारिता विभाग के अंतर्गत पैक्स/व्यापार मंडलों को प्राधिकृत किया जाता है। प्राथमिक कृषि साख समिति (पैक्स)/व्यापार मंडल द्वारा किसानों से क्रमशः पंचायत/प्रखंड स्तर पर धान का क्रय किसानों से किया जाएगा एवं उस परिप्रेक्ष्य में अधिप्राप्ति धान का मिलिंग कराकर अग्रिम सी0एम0आर0 प्राप्त कर बिहार राज्य खाद्य निगम को उपलब्ध कराया जाएगा।

(ii) जिन जिलों में अधिप्राप्ति धान की मात्रा के अनुरूप मिलों की मिलिंग क्षमता अपेक्षाकृत कम है, उन जिलों में आपातकालीन स्थिति में पैक्सों/व्यापार मंडलों से निगम द्वारा धान प्राप्त कर सीमावर्ती जिला के पंजीकृत/अनुमोदित मिलों से अधिप्राप्ति धान का मिलिंग कराकर अग्रिम सी0एम0आर0 जमा कर मिलों से धान कुटाई कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

(iii) उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग) भारत सरकार के पत्र सं0 3(4)/2018 पी0वाई0 –I दिनांक–27.07.2018 के द्वारा खरीफ विपणन मौसम 2018–19 के अन्तर्गत धान के साधारण एवं ग्रेड 'ए' का न्यूनतम समर्थन मूल्य निम्नवत् निर्धारित है :–

(रूपये प्रति क्वींटल)

धान	**साधारण**	**1750.00**
	ग्रेड 'ए'	**1770.00**

खरीफ विपणन मौसम 2018–19 अन्तर्गत कस्टम मिल राईस (CMR) का दर भारत सरकार द्वारा यथा निर्धारित प्रभावी होगा।

3. खरीफ विपणन मौसम 2018–19 अन्तर्गत **धान** अधिप्राप्ति कार्यक्रम **दिनांक–15.11.2018 से प्रारम्भ होगा एवं 31.03.2019 तक प्रभावी रहेगा तथा अधिप्राप्ति धान का सी0एम0आर0** प्राप्ति दिनांक **15.11.2018 से 31.07.19 तक** के लिए प्रभावी होगा ।

4. यह अधिसूचना खरीफ विपणन मौसम 2018–19 के अन्तर्गत दिनांक–15.11.2018 से 31.07.2019 तक के लिए प्रभावी होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(भरत कुमार दुबे)
सरकार के संयुक्त सचिव।

D:\backup\Year_2018(Sec_10)\2015\KMS-18-19.doc

ज्ञापांक– प्र010/वि0धान0अधि0–11/18–5270/खाद्य, पटना–15, दिनांक–08/11/18
प्रतिलिपिः– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, गुलजारबाग, पटना–7 को अनुलग्नक सहित सूचना एवं गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

अनुरोध है कि इस अधिसूचना को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित कराते हुए गजट की एक सौ प्रतियॉ अद्योहस्ताक्षरी को शीघ्र भेजने की कृपा की जाय ।

अनुलग्नक :– दो हार्ड प्रति एवं एक सी.डी.

सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक– प्र010/वि0धान0अधि0–11/18–5270/खाद्य, पटना–15, दिनांक–08/11/18
प्रतिलिपिः– सरकार के सभी प्रधान सचिव/प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/सभी सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ निबंधक, सहयोग समितियां, बिहार, पटना /प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य निगम, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना/सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी/महाप्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक– प्र010/वि0धान0अधि0–11/18–5270/खाद्य, पटना–15, दिनांक–08/11/18
प्रतिलिपिः–मुख्य सचिव, बिहार, पटना/ विकास आयुक्त, बिहार, पटना/ संयुक्त सचिव, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली/माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के सचिव/माननीय उप मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, बिहार/माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक– प्र010/वि0धान0अधि0–11/18–5270/खाद्य, पटना–15, दिनांक–08/11/18
प्रतिलिपि– आई0टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को विभाग के वेब–साईट पर अपलोड करने एवं सम्बन्धित को ई–मेल करने हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव ।